क्रम संख्या–34 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 मई, 2026 ई0

बैशाख 31, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–03

संख्या 279 / XVIII(3) / 2026 / 02(03) / 2025

देहरादून, 21 मई, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल, अधिसूचना संख्या 3009 / आठ–02(2023–2024), गोपेश्वर, दिनांकः 24 जनवरी 2025 के क्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि नवीन 66 के0वी0 जी0आई0एस0 उपस्थान ज्योतिर्मठ का निर्माण परियोजना जो कि एक महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन है, हेतु ग्राम सेलंग, तहसील ज्योतिर्मठ, जिला चमोली में कुल 0.153 है0 भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है।

ग्राम सेलंग तहसील ज्योतिर्मठ, जनपद चमोली

क0 स0	खाता संख्या	सर्वेक्षण । खसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	प्रस्तावित क्षेत्र0 (है0)	हितवद्व व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएं				वृक्ष			संरचनाएं	
							उ.	द.	पू.	पश्.					कुर्सी एरिया (वर्ग मी0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	00019	1721	निजी भूमि	कृषि	0.045	तारेन्द्र सिंह पुत्र बालम सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र बालम सिंह, त्रिलोक सिंह, पुत्र बालम सिंह, सुदर्शन सिंह पुत्र बालम सिंह निवासी ग्राम–सेलंग।	1398	1716	1722	1720	–	–	–	–	–
2		1722	निजी	कृषि	0.041		2397	1714	1723	1721	–	–	–	–	–
3		1723	निजी	कृषि	0.060		2397	1713	1724	1722	–	–	–	–	–
4		1724	निजी	कृषि	0.007		2397	1711	2397	1723	–	–	–	–	–
कुल योग					0.153 है0										

उपर्युक्त परियोजना हेतु भू–खंड, जिनका अर्जन किया जाना है, का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:–

राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक् जांचोपरान्त की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्बों की संख्या शून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी– हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा जिला भूमि अर्जन अधिकारी चमोली, उपजिलाधिकारी ज्योतिर्मठ, तहसीलदार ज्योतिर्मठ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में योजना से सम्बन्धित भू–अभिलेखों का अवलोकन किया जा सकता है।

आज्ञा से,

डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 279/XVIII(3)/2026-02(03)/2025,** dated May 21, 2026 for general information:

No. 279/XVIII(3)/2026-02(03)/2025

Dated Dehradun, May 21, 2026

NOTIFICATION

Under sub-section (1) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparencyin Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no 30 of 2013), in continuation of the Notification No. 3009/08-02 (2023-2024) Gopeshwar, dated 24 January 2025, the Governor is pleased to declare that the State Government is satisfied that total 0.153 hectares land acquisition is required in the Village Selang, Tehsil Jyotirmath, District Chamoli forthe construction of the New 66 kV GIS Sub-Station Jyotirmath Project, which is an important public purpose.

The details of the plots which are to be acquired for the above project, are as follows:

Village-Selang, Tehsil- Jyotirmath, District-Chamoli

Sr. No.	Khata No.	Khasra No.	Type of Title	Type of Land	Area undue Acquisition (in Htr.)	Name of Person Intrested	Boundaries				Trees			Structures	
							N	S	E	W					Plinth Area) (Sqr. Mtr)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	00019	1721	Private Land	Agriculture	0.045	Tarendra Singh S/o Balam Singh, Gajendra Singh S/o Balam Singh, Trilok Singh S/o Balam Singh, Sudarshan Singh S/o Balam Singh R/o. Village – Selang.	1398	1716	1722	1720	-	-	-	-	-
2		1722	Private Land	Agriculture	0.041		2397	1714	1723	1721	-	-	-	-	-
3		1723	Private Land	Agriculture	0.060		2397	1713	1724	1722	-	-	-	-	-
4		1724	Private Land	Agriculture	0.007		2397	1711	2397	1723	-	-	-	-	-
Total					0.153 Hect.										

The Governor is satisfied that this declaration is made after hearing of objections of interested persons with the due investigation as provided in section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no 30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is nil.

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

Note-The land records related to project may be inspected by the interested persons in any working day at the office of the district land acquisition officer, Chamoli (Gopeshwar), SDM Jyotirmath and Tehsildar Jyotirmath.

By Order,

Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary, Revenue.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 राजस्व/154–2026–100+20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।